

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *122
दिनांक 29 जुलाई, 2025 / 07 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अनुदेशकों को प्रशिक्षण

*122. डॉ. संबित पात्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में किन-किन देशों के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;
- (ख) क्या उक्त अकादमी ने विदेशों में भारतीय प्रशिक्षकों/अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैं;
- (ग) क्या उक्त अकादमी ने आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रणाली का उन्नयन करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उक्त अकादमी ने भारत और विदेश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122, दिनांक 29/07/2025

“अनुदेशकों को प्रशिक्षण” के संबंध में दिनांक 29.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या

***122 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद रॉयल भूटान, मालदीव, मॉरीशस और नेपाल के पुलिस अधिकारी प्रशिक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका, घाना, सूडान, तंजानिया, ब्राजील, कंबोडिया, तुगालु, वियतनाम, बेलारूस, इथियोपिया, फिजी, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, अल साल्वाडोर, थाईलैंड, केन्या, बेलीज, चिली, क्रोएशिया, जमैका, फ़िलीपींस, सूरीनाम, सेशेल्स, टोगो, ठ्यूनीशिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार आदि जैसे अन्य देशों के पुलिस कार्मिक आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा, डार्कवेब और क्रिएटो करेंसी, एथिकल हैकिंग, आर्थिक अपराध, विस्फोटक आदि पर एसवीपीएनपीए, हैदराबाद द्वारा संचालित विभिन्न अल्प अवधि पाठ्यक्रमों में भाग लिए हैं।

(ख) इस अकादमी की पुलिस व्यवस्था में नई चुनौतियों से निपटने के लिए विदेशों में भारतीय प्रशिक्षकों/अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्य योजना है। अकादमी ने एसवीपीएनपीए के संकाय सदस्यों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए); यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, यूनाइटेड किंगडम (यूके); यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, क्राइम लैब; एफबीआई अकादमी, यूएसए; फ्रांस के नेशनल पुलिस कॉलेज, फ्रांस; यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके और कॉलेज ऑफ पुलिसिंग, यूके की पहचान किया है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षमता संवर्धन हेतु उपयोग की जाने वाली अवसंरचना तथा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना, क्षमताओं को बढ़ाने में अपनाई गई आधुनिक प्रौद्योगिकियों को समझना और संभावित सहयोग प्राप्त करना, अपराध की रोकथाम और पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद से निपटना, नैतिकता, मानवाधिकार, कानून का शासन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की समझ शामिल हैं।

(ग) चूंकि, फील्ड पुलिस व्यवस्था गतिशील और निरंतर परिवर्तनीय है, अतः आधुनिक युग में अपराध की बदलते हुए स्वरूप से निपटने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है और इसे स्तरोन्नत किया जाता है। अकादमी बोर्ड वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के संचालन की समीक्षा करता है।

अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में तीन नए कानूनों, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के विभिन्न प्रावधानों को उपयुक्त ढंग में शामिल किया गया है।

जांच के क्षेत्रों में केस स्टडी के एक भाग के रूप में नवीनतम विकास को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। साक्ष्य संग्रह एवं जांच प्रक्रियाओं से संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए सूचना संचार प्रौद्योगिकी, क्रिएट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (ओएसआईएनटी), सोशल मीडिया विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और एआई टूल्स आदि विषयों को पढ़ाया जाता है। सीबीआई, एनआईए, आईबी, सीएपीएफ, आई4सी आदि समेत विशिष्ट एजेंसियों के विशेषज्ञ अपराधों की बदलती प्रकृति के अनुरूप सत्र आयोजित करते हैं।

इसके अलावा, बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में, विभिन्न अपराधों की जांच पर सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभ्यास में कानूनों का अनुप्रयोग और आधुनिक वैज्ञानिक फोरेंसिक उपकरणों के साथ जांच तकनीकों का उपयोग शामिल है। अपराध स्थल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और फोरेंसिक विज्ञान में हो रही नवीनतम प्रगतियां भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।

देश भर में सभी आंतरिक विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आधुनिक अपराधों से निपटने और सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल करते हुए केस स्टडीज के संग्रह का उपयोग किया जाता है। सम्पूर्ण देश में ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) संबंधी प्लेटफार्म अधिकारियों को नए नवाचारों और सर्वोत्तम पद्धतियों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्लेटफार्म के माध्यम से साझा किया गया ज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित लेख एसवीपीएनपीए पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते हैं और पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी को बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

यह अकादमी पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला भी आयोजित करती है और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ नवीनतम प्रगति भी साझा करती है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ संयोजन (अटैचमेंट) भी किया जाता है, ताकि प्रशिक्षु अधिकारियों को फोरेंसिक विज्ञान की नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों की जानकारी प्रदान की जा सके। स्मार्ट पुलिस व्यवस्था, निगरानी, पीएम गति शक्ति आदि पर मॉड्यूल आयोजित करते समय आधुनिक तकनीकों पर बल दिया जाता है।

ड्रोनों, सीमा प्रबंधन में चुनौतियों, आपदा उपशमन, समुद्री सुरक्षा, अत्याधुनिक डिजिटल फोरेंसिक, आतंकवाद से निपटने, साइबर आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जांच, डार्कवेब, क्रिएट करेंसी, आर्थिक अपराध,

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122, दिनांक 29/07/2025

विस्फोटक, ओएसआईएनटी, सोशल मीडिया विश्लेषण, प्रशिक्षकों के लिए बाह्य (आउटडोर) अनुदेशात्मक प्रशिक्षक (टीओटी), रण कौशल आदि प्रासंगिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

अध्ययन को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पैनल चर्चाएं, अनुभव साझा करना, राज्यों द्वारा अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को सहभागियों के साथ साझा करना, सिंडिकेट समूह चर्चाएं, क्षेत्रीय दौरे आदि प्रशिक्षण प्रणालियाँ अपनाई गई हैं।

(घ) अकादमी ने पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने, अनुभव के पारस्परिक आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और पुलिस कार्मिकों की पेशेवरता को बढ़ाने के उद्देश्य से मौजूदा सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड एंड सिक्योरिटी, फेडरल लॉ एन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर (एफएलईटीसी), यूएसए; मालदीव पुलिस सर्विस तथा मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक उज्बेकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
